

2

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**


|                    |              |             |       |
|--------------------|--------------|-------------|-------|
| प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम       | तहसील |
| 74/2014            | 212. RTA     | तुर्कीपाडा  | छबड़ा |
| वादी               | वाद शीर्षक   | प्रतिवादी   |       |
| कजोड               | बनाम         | करतूरी वगै० |       |

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ


25-6-14  
 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण को जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबड़ा के खाता संख्या 14 के ख0न0 8 किता रकबा 23.05 बीघा, पर जबाव पेश होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.08.2014 को पेश हो।

6-8-14  
 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10.08.14 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा / बारा

1-10-14  
 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उम. जर्जे वादी 1, 4, 4 वाक्य प्रपक के न्याया. के उम. गठ ईडी के काल्प उनके विरुद्ध एक बच्चा कार्पवाही की जर्जे वादी 5.2 की कोट है श्री रामेश्वर उवाय गेपल एड का बकाये रकमा पेश हुआ जर्जे वादी 3, 3.5 की रकमी डेड रकमा पेश करे। पत्रावली वादी रकमी रिकॉड 5-11-14 को पेश हो। अब स्थान कोड रिकॉड 5-11-2014 तक बहाल काया है।

5-11-14  
 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.11.14 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा / बारा

12/6/15  
 राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पन्नापाडा पर पेश झूल वाद को मल होने के अड-पुनो पत्र 212 RTA भी दाखिल इतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा जिला बारां (राज.)